अति महत्वपूर्ण निर्देश

1. विभिन्न संकायों में प्रवेश हेतु निर्धारित पात्रता प्रतिशत के ही आवेदन पत्र जमा किये जायेंगे।
2. विभिन्न संकायों में प्रवेश आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश के लिए कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रवेशार्थी ध्यान रखे कि विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं है।
3. राज्य सरकार की प्रवेश नीति के अनुसार जारी की गई प्रथम वर्ष स्नातक स्तर की योग्यता सूची में शामिल प्रवेशार्थी अगर उनकी प्रवेश सूची में शुल्क जमा कराने की निर्धारित तिथि तक वांछित शुल्क जमा नहीं कराते है तो उनका प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करनी है। लेकिन साक्षात्कार के समय प्रत्येक प्रवेशार्थी को मूल प्रमाण प्रस्तुत करने होगें एवं मूल टी.सी., मूल चरित्र प्रमाण पत्र एवं मूल अंकतालिका जमा करवाने होंगे।
5. अपने मूल प्रलेख महाविद्यालय में जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियां अपने पास रख लें। प्रवेश के पश्चात् मूल प्रलेख तुरन्त लौटाना सम्भव नहीं होगा।
6. जिन छात्रों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश लेना होगा। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद छात्र का नियमित प्रवेश महाविद्यालय में नहीं हो सकेगा। पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उनका अस्थाई प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा उनके द्वारा जमा कराई गई फीस वापस नहीं लौटाई जायेगी।
7. ऐसे विद्यार्थी जो एक संकाय में प्रवेश नहीं मिलने पर दूसरे स्वीकृत संकाय में प्रवेश लेना चाहते हो, उन्हें दूसरे संकाय के लिए भी निर्धारित तिथि से पूर्व ही अलग आवेदन पत्र भरकर देना होगा।
8. राजकीय आदेशानुसार प्रत्येक विषय में उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होनी चाहिये अन्यथा आप नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने से वंचित हो जायेंगे।
9. अध्यापन कार्य जुलाई 2015 से प्रारम्भ हो जायेगा।